न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 43/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पताः– 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एल. बी.एस. कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. अर्जुन लाल सैनी पुत्र भगवान सहाय सैनी,
पताः– निवासी 50 ढ़ाणी टीबा वाली, वार्ड नम्बर 10, लोहारवारा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।

2. मनोहरी देवी सैनी पत्नी अर्जुन लाल सैनी,
पताः– निवासी 50 ढ़ाणी टीबा वाली, वार्ड नम्बर 10, लोहारवारा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।

3. कैलाश चन्द सामोता पुत्र सुरजाराम सामोता,
पताः– निवासी 514, मिण्डाला ठोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।

4. पूरण मल जाट पुत्र पाला राम जाट,
पताः– निवासी ग्राम व पोस्ट काराडाका ठोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राज.।

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 09 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **प्रमोद कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **अर्जुन लाल सैनी, मनोहरी देवी सैनी, कैलाश चन्द सामोता, पूरण मल जाट** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **अप्रार्थीगण की सम्पति खसरा नम्बर 4701 रकबा 0.18 हैक्टेयर में से 0.1580 हैक्टेयर, ग्राम कानावत (कांवट) तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित है,** को बंधक रखकर **20,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये बीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी

मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.03.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **07.03.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसकी फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **अर्जुन लाल सैनी, मनोहरी देवी सैनी, कैलाश चन्द सामोता, पूरण मल जाट** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **अप्रार्थीगण की सम्पति खसरा नम्बर 4701 रकबा 0.13 हैक्टेयर में से 0.1580 हैक्टेयर, ग्राम कानावत (कांवट) तहसील खण्डेला जिला सीकर में स्थित है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 09 **सितम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner